प्रेषक.

किशन सिंह अटोरिया, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में.

- 1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 22 सितम्बर, 2016

विषय:-राज्याधीन सेवाओं में सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों की ''ब्लैंक'' प्रविष्टियों के मूल्यॉकन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-36/8/1976-कार्मिक-2, दिनांक 30 अप्रैल, 1991 की व्यवस्था निम्नवत् है :-

- (1) अंकित न की जा सकी वार्षिक प्रविष्टियों को "संतोषजनक" वर्गीकरण के बजाय "ब्लैंक" पढ़ा जाय।
- (2) ऐसी प्रविष्टियों का वर्गीकरण चयन समिति द्वारा स्वयं किया जायेगा, जो उक्त प्रविष्टियों के पूर्व व पश्चात् की प्रविष्टियों को देखकर अपने विवेकान्सार निर्णय लेंगे।
- 2- ब्लैंक प्रविष्टियों के सम्बन्ध में अर्द्ध शा0प0सं0-13/15/91-का-1/1993, दिनांक 20 अगस्त, 1993 के प्रस्तर-2 का उप प्रस्तर (3) प्रासंगिक है, जो निम्नवत् है:-

"यदि पात्रता सूची के किसी कार्मिक की कुछ अवधि/वर्षों की वार्षिक प्रविष्टि प्राप्त/उपलब्ध न हो, तो अप्राप्त/अनुपलब्ध वार्षिक प्रविष्टियों को ब्लैंक दर्शाया जाये एवं उपलब्ध प्रविष्टियों/अभिलेखों के आधार पर (औसत के आधार पर) चयन समिति द्वारा उस कार्मिक के विषय में समुचित मूल्यॉकन किया जाये।"

3- मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-66618/2009 डा० सत्येन्द्र कुमार सिंह बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में उपरोक्त वर्णित व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए दिनांक 26.08.2016 को आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश निम्नवत् है :-

Mrs. V. Hekali Zhimomi, the Secretary, Medical Health & Family Welfare, U.P. Government, Lucknow, is present in the Court.

The Secretary, Medical Health & Family Welfare has produced three Government Orders dated 22 March, 1984, 30 April, 1991 and 20 August, 1993. A short note has also been handed over to the Court for the purpose of disclosing the manner and

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

method of the evaluating the entries of officers within the zone of consideration of promotion on the criteria of merit only.

We find that the Government Order dated 22 March, 1984 deals with cases whereby criteria for promotion is seniority subject to selection of unfit and where the criteria is merit only. The Government Order dated 30 April, 1991 provides that the years in which no entries has been recorded in the Character Roll of the officer concerned, may be treated as blank and the average for the blank entry may be calculated according to the discretion of the Selection Committee. Similarly in the Government Order dated 20 August, 1993, we find that the procedure for assessing the blank year entries has been provided as average to be obtained from the available entries in the service records after evaluation by the Selection Committee.

From the note supplied to the Court, we find that the practice which has been followed by the various Selection Committees as mentioned therein and which has been stated in the open Court that there are no specific guidelines in the matter of evaluation of the blank entries while assessing the entries of the officers concerned for the purpose of promotion on the criteria of merit.

In our opinion, the criteria of merit for promotion is unsatisfactory and method to evaluate the blank entries cannot be left at the whims of the Selection Committee. It must be normally laid down by the State Government as to what would be the mechanics for evaluation of the annul entries which has been left blank in the Character Roll.

The Court has been informed that the such guidelines in the matter of assessing blank entries can be laid down by the "Karmik" department and can be examined by the State of U.P.

We, therefore, direct the Secretary, Karmik to file an affidavit disclosing the norms in the matter of evaluation of the blank entries in the Character Roll of the employees within the zone of consideration for promotion which may be uniformly applied in support of all Government Servants through the State. So that the issue may not be left at the whims of each individual Selection Committees.

Learned Standing Counsel seeks a month time for the purpose.

It may be granted with the condition that if the affidavit has not filed by the Secretary and during this period, conditions for such evaluation of blank entries have not been provided, the concerned Secretary shall remain present alongwith relevant records before this Court.

The matter shall come up on 27th September, 2016 alongwith the Connected Contempt Application (Civil) No.- 3031 of 2013 (Dr. Satyendra Kumar Singh Vs. Praveer Kumar, Principal Sec. Medical And Health Lko.).

Order Date :- 26.8.2016

- 4- मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-
- (1) योग्यता (मेरिट) के आधार पर होने वाले चयनों में अन्तिम 10 वर्षों की प्रविष्टियों में से कम से कम 06 पूर्ण वर्ष की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का उपलब्ध होना आवश्यक है। 06 पूर्ण वर्ष से कम वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां उपलब्ध होने पर ऐसे कार्मिक के चयन

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पर विचारण "आस्थगित" (Abeyance) रखा जायेगा। जिन अवधि/अवधियों की प्रविष्टियों का अंकन (अधिकतम 04 पूर्ण वर्ष तक) किया जाना सम्भव नहीं है अथवा सम्भव नहीं हो सका है, उन अवधि/अवधियों की प्रविष्टि को "ब्लैंक" माना जायेगा। अनुपलब्ध प्रविष्टियों के पूर्ण हो जाने की दशा में पूर्व चयन में अपनाये गये मानकों के अनुसार सम्बन्धित कार्मिक के चयन पर विचार किया जायेगा।

- (2) "ब्लैंक" अवधि/अवधियों का मूल्यॉकन यथास्थिति, पूर्व एवं पश्चात् की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के आधार पर उनका "औसत" निकालते हुए किया जायेगा।
- (3) "औसत" मूल्यॉकन के सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा पात्रता सूची में सिम्मिलित सभी कार्मिकों हेतु एक समान मानक अपनाये जायेंगे।
- 5- उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय, किशन सिंह अटोरिया प्रमुख सचिव ।

संख्या-2/2016/13(1)2016(1)/का-1-2016, तद्भदिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
- 2. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
- 3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 5. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 6. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से, **अनिल कुमार सिंह** अनु सचिव ।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।